पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-51
दिनांक-09.01.2026

जोन-पश्चिमी/थाना चौक

सर्विलॉस सेल टीम पश्चिमी जोन व थाना चौक की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा जूनियरे महिला को शादी का झाँसा देकर बार-बार दुष्कर्म करना व बिना सहमति के गर्भपात कराते हुए उसका धर्म परिवर्तन कराने आदि जैसे गंभीर अपराध करने वाला 50,000/- रुपये का वांछित/इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही का विवरण-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं वांछित/वारंटी के विरूद्ध गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, श्री विश्वजीत श्रीवास्तव पुलिस उपायुक्त पश्चिमी तथा श्री धनन्जय सिंह कुशवाहा अपर पुलिस उप-आयुक्त पश्चिमी लखनऊ के निर्देशन मे व श्री राजकुमार सिंह सहायक पुलिस आयुक्त चौक के मार्ग दर्शन में श्री नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक चौक कमिश्नरेट लखनऊ के कुशल नेतृत्व में सर्वलॉस टीम पश्चिमी लखनऊ व थाना चौक की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.01.2026 को वांछित/इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 23.12.2025 को वादिनी/पीड़िता छात्रा एम0डी0 पैथालॉजी के0जी0एम0यू0 लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके सीनियर डाक्टर द्वारा शादी का झाँसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है व बिना सहमति के गर्भपात कराते हुए धर्म परिवर्तन किया गया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 302/2025 धारा 69/89/351(1) बीएनएस व 3/5 उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम **01-रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज पुत्र सलीमुद्दीन** हाल पता किराये का फ्लैट नं0 303 मुमताज कोर्ट अपार्टमेंट हुसैना बाद शीश तालाब के पीछे ठाकुरगंज लखनऊ निवासी अस्थाई पता112 दुर्गा नेहरू सुभाष नगर वार्ड संख्या 04 खटीमा थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, मूल पता मोहल्ला मोहम्मद यार खाँ कस्बा न्योरिया थाना न्योरिया जनपद पीलीभीत पंजीकृत किया गया है।

जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक चौक द्वारा सम्पादित करते हुए पीड़िता के बयान व अन्य साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा के साथ भी दुष्कर्म कर गर्भपात कराना तथा धर्म परिवर्तन कराकर शादी करना एंव पीड़िता पर दबाव बनाकर उसके साथ अपने पुत्र का निकाह कराना तथा अन्य अपराधिक घटना कारित करने मे अभियुक्त के परिजन की संलिप्तता पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64(2)(ड)/123/61(2)(क)/115(2)/352 बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए अभि0गण 1.सलीमुद्दीन पुत्र शमशुद्दीन उम्र लगभग 70 वर्ष 02-माता खतीजा पत्नी सलीमुद्दीन उम्र लगभग उम्र लगभग 67 वर्ष निवासीगण 112 दुर्गा नेहरू सुभाष नगर वार्ड संख्या 04 खटीमा थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड मूल पता मोहल्ला मोहम्मद यार खाँ कस्बा न्योरिया थाना न्योरिया जनपद पीलीभीत 03-शारिक खान पुत्र अजहर खान पता अज्ञात 04-सैय्यद जाहिद हसन पुत्र सैय्यद मोहम्मद हसन पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-48
दिनांक-09.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **झपटमारकर मोबाईल व पर्स छीनने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से नफर अभियुक्त को मय मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.01.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दो अज्ञात लड़कों द्वारा पीछे से आकर उसका मोबाइल फोन व पर्स छीन कर मौके से भाग जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-007/2026 धारा- 304(2) बी.एन.एस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना इटौंजा पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित 01-अभियुक्त मनीष रावत पुत्र तेजराम रावत निवासी बांसखेड़ा मजरा छोटीपुरवा थाना अटरिया सीतापुर उम्र-25 वर्ष को इटौंजा रेलवे स्टेशन के पास बनगाँव रोड़ के पास से दिनांक 09.01.2026 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित 1 अदद मोबाइल फोन Realme Narzo N55 बरामद हुआ। दौराने पूछताछ अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उपरोक्त मोबाइल व पर्स उसके द्वारा अपने सह अभियुक्त बल्लू पुत्र बृजलाल निवासी छोटीपुरवा थाना अटरिया सीतापुर के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा से छीना गया था। अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-मनीष रावत पुत्र तेजराम रावत निवासी बांसखेड़ा मजरा छोटीपुरवा थाना अटरिया सीतापुर उम्र-25 वर्ष

03-बरामदगी:-

➢ अदद मोबाइल फोन Realme Narzo N55

04-आपराधिक इतिहास अभियुक्त मनीष रावत :-

01-मु0अ0सं0 231/2025 धारा 115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना अटरिया जनपद सीतापुर
02-मु0अ0सं0 07/2026 धारा 304(2)/ 317(2) बी.एन.एस थाना इटौंजा लखनऊ (पंजीकृत)

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार गुप्ता थाना इटौंजा लखनऊ
2. उ0नि0 श्री रामविलास थाना इटौंजा लखनऊ
3. आरक्षी दीपक तोमर थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-47

दिनांक-09.01.2026

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- **पतंजली केन्द्र जनरल स्टोर में घुस कर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मय चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ की कार्यवाही ।**

01.संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 31.12.2025 को वादी श्री मलय अग्रवाल पुत्र कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी तुलसीदास मार्ग चौक लखनऊ ने वादी की दुकान हिन्द पतंजली केन्द्र जनरल स्टोर से चोरी होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 331/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ पंजीकृत किया गया था।

थाना महानगर की पुलिस टीम व सर्विलांस सेल मध्य जोन, लखनऊ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित माल मुल्जिमान की तलाश में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर हनुमान सेतु तिराहे के पास ग्रीन कॉरीडोर पर बने नये पुल के पास खडे अभियुक्त आयुष पुत्र दीपू निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार कर कब्जे से दुकान का सामान (बादाम, चायपत्ती, शहद, जीरा आदि) व 2716 रुपये नगद बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आयुष पुत्र दीपू निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना सिधौली जनपद सीतापुर उम्र करीब 19 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 331/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ

04-बरामदगी

- दुकान का परचून का सामान (बादाम, चायपत्ती, शहद, जीरा आदि के पैकट)
- 2716/- रूपये बरामद

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

थाना महानगर पुलिस टीम	सर्विलांस सेल, मध्य जोन लखनऊ
1. उ0नि0 अनुराग कुमार सिंह	1. उ0नि0 अभिनेन्द्र सिंह
2. उ0नि0 लालबहादुर	2. हे0का0 आशीष मिश्रा
3. का0 शिवम कुमार	3. हे0का0 दुर्गेश सिंह
	4. का0 बलबन्त

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-50
दिनांक: 09.01.2026

जोन- उत्तरी/ थाना- मलिहाबाद

- **सर्विलांस टीम(डीसीपी उत्तरी) व थाना मलिहाबाद की संयुक्त पुलिस टीम की सफलता।**
- **मोबाइल टावरों से / बिजली के तार/केबिल चोरी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल एवं घटना में प्रयुक्त उपकरण (03 बोरी तार/केबिल बिजली व 01 अदद कटर केबिल, 02 अदद आरी ब्लेड व 01 अदद कटर प्लास, 01 अदद साईकिल ट्यूब,) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.01.2026 को वादी श्री अनुभव पुत्र श्री शम्भू यादव, निवासी सेक्टर-6 गोमतीनगर, थाना गोमतीनगर, लखनऊ, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो कि इंडस टावर लिमिटेड में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं, द्वारा थाना मलिहाबाद पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम मुजासा, थाना मलिहाबाद में स्थित इंडस टावर लिमिटेड (एयरटेल कंपनी) के मोबाइल टावर (ID No. IN-1245684) से दिनांक 28/29.12.2025 की रात्रि लगभग 00:28 बजे अज्ञात चोरों द्वारा टावर में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण व केबिल काटकर चोरी कर लिए गए हैं। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 09.01.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में गश्त दौरान माल रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विकास शुक्ला पुत्र स्व0 उमाशंकर शुक्ला, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम पारा, थाना मौरावा, जनपद उन्नाव, हाल पता गढ़ी संजर खाँ (ससुराल), थाना मलिहाबाद, लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर बताया कि मै अपने तीन अन्य साथियो के साथ मिलकर जिनका नाम 01 सुनील रावत व 02-बसंतलाल उर्फ बसंता 03-युनुस के साथ मिलकर थाना क्षेत्र मलिहाबाद में मई 2025 मे महात्मा गांधी इण्टर कालेज में लगे बिजली का तार चोरी किया था और अगस्त माह 2025 में ग्राम माधौपुर में हरदोई रोड के किनारे एक खेत में टीनसेट में बने कमरे के अन्दर समरसेबल पम्प को चोरी किया था और नवम्बर 2025 में ग्राम ढकवा में ट्रांसफार्मर के आगे लगे तीन बिजली के पोल का तार चोरी किया थाष

दिनांक 28/29 दिसम्बर 2025 में ग्राम मुजासा में रात्री के समय मोबाईल टावर में लगे तार को चुराया था और इसके अतिरिक्त हम लोगो ने नवम्बर माह की रात्री में थाना रहीमाबाद के तेरवा गाँव के दो नलकूप के करीब 10 पोलो की तार केबल को चोरी किया था। साहब इसी चोरी किये गये माल को हम सभी लोग मिलकर ग्राम मुजासा के पास नहर के पास छुपाये थे, जिसमें से धीरे धीरे चोरी का सामान ले जाकर बेच रहे थे ,हम अकेले ही आज शेष माल को बेचने के लिए जा रहे थे कि आपने पकड लिया। पकडे गये वाहन मोटरसाईकिल वाहन संख्या UP32DL2271 सुनील रावत की है, इसी मोटर साइकिल का उपयोग तार/केविल ढोने में करते है ।अभियुक्त के कब्जे से 03 बोरी बिजली के तार/केबिल, 01 अदद केबिल कटर, 02 अदद आरी ब्लेड, 01 अदद कटर प्लास तथा 01 अदद साइकिल ट्यूब बरामद हुई।

मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद तथा मु0अ0स0 121/2025 धारा 303(2) बीएनएस व 176/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद व मु0अ0स0 165/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना रहीमाबाद मे बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है।

अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए दिनांक 09.01.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य जनपदों/थानों से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण..

01-विकास शुक्ला उर्फ बोर्नवीटा पुत्र स्व0 उमाशंकर शुक्ला उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम पारा थाना मौरावा जनपद उन्नाव हालपता गढी सन्जर खाँ (ससुराल) थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ (व्यवसाय –चोरी कर धन अर्जित करना)

03-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0स0 594/2017 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना आशियाना लखनऊ।
2. मु0अ0स0 453/2024 धारा 303(2)/ 317(2) / 317(4) /317(5) बीएनएस थाना आशियाना लखनऊ।
3. मु0अ0स0 461/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना पारा लखनऊ।
4. मु0अ0स0 190/2015 धारा 380/457 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।
5. मु0अ0स0 444/2016 धारा 380/411/454 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।
6. मु0अ0स0 469/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना पीजीआई लखनऊ।
7. मु0अ0स0 08/2024 धारा 41//411/419/420/467/468/471 भादवि थाना मलिहाबाद लखनऊ।
8. मु0अ0स0 269/2023 धारा 379/411/472 भादवि थाना तालकटोरा लखनऊ।
9. मु0अ0स0 366/2023 धारा 379/411/413/414 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
10. मु0अ0स0 458/2023 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
11. मु0अ0सं0 002/2026 धारा 303(2) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ ।
12. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 303(2) बीएनएस व वृद्धि धारा 317(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ ।
13. मु0अ0सं0 169/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ ।
14. मु0अ0सं0 121/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना मलिहाबाद लखनऊ ।
15. मु0अ0सं0 165/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना रहीमाबाद लखनऊ ।

04-बरामदगी

- **03 बोरी तार/केबिल बिजली,**
- **01 अदद कटर केबिल,**
- **02 अदद आरी ब्लेड व**
- **01 अदद कटर प्लास,**
- **01 अदद साईकिल ट्यूब**

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

सर्विलांल टीम डीसीपी उत्तरी	**थाना मलिहाबाद पुलिस टीम**
हे0का0 संतोष कुमार	व0उ0नि0 श्री संजय यादव
हे0का0 अमित कुमार गौतम	उ0नि0 दीपक कुमार
	उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
	उ0नि0 अनिल कुमार गौतम
	का0 सुशील कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-52
दिनांक –09.01.2026

जोन- दक्षिणी / थाना-निगोहां

- **थाना निगोहाँ पुलिस की तत्परता से बची कार चालक की जान, ब्लोअर के कारण बेहोश हुए चालक को शीशा तोडकर निकाला बाहर।**
- **थाना निगोहां पुलिस का सराहनीय कार्य।**

घटना का विवरणः-

आज दिनांक-09.01.2026 को दोपहर गश्त के दौरान थाना निगोहाँ पुलिस टीम ने देखा कि कस्बा निगोहाँ में लखनऊ-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक स्विफ्ट डिजायर कार सड़क के बीच में काफी देर से खड़ी थी और उसका इंजन चालू था। संदेह होने पर जब कस्बा चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री अनूप कुमार तिवारी, उ0नि0 श्री चन्दन कुमार यादव, का0 अरविन्द कुमार पटेल ने पास जाकर देखा, तो चालक अपनी सीट पर अचेत अवस्था में पडा था। पुलिस द्वारा बार-बार दरवाजा खटखटाने और शोर मचाने के बावजूद चाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए थाना निगोहाँ पुलिस टीम ने बिना देरी किये कार का पिछला गेट का शीशा तोड़ दिया और दरवाजा खोलकर चालक को बाहर निकाला तथा कार को सड़क किनारे सुरक्षित खडा किया। शुरुआती जाँच में पाया गया कि कार के सभी शीशे पूरी तरह बन्द थे और हीटर/ब्लोअर लंबे समय से चल रहा था, जिससे केबिन के भीतर ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसके कारण चालक बेहोश हो गया।

चालक को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ अब उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। चालक की पहचान सरवन पुत्र जमुना यादव निवासी मीरक नगर थाना निगोहाँ जनपद लखनऊ के रुप में हुई है। सूचना पर चालक के परिवारीजन मौके पर उपस्थित आ गये ,चालक सरवन को सकुशल देखकर प्रशन्न हुए और पुलिस टीम को धन्यवाद किया।

आज थाना निगोहाँ पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्यवाही के कारण एक बडा हादसा टल गया। कस्बा निगोहाँ में बीच सडक पर खडी कार में बेहोश हो चुके चालक को पुलिस ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस की इस मानवीय और साहसिक कार्यवाही की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है।